

**कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरबा (छत्तीसगढ़) एवं पदेन उप सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

—:: प्रारंभिक अधिसूचना ::—  
क्रमांक / 17906 / भू-अर्जन / 2024

कोरबा, दिनांक 5/2/2024

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि तीव्र अनुसूची के कॉलम (1) से (6) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्वासनापन में जिसे प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपेक्षों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

**अनुसूची**

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.न.	ख.न.	क्षेत्रफल (हे. मे.)	6	7
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	दीपका	दर्दी/54	994/1	0.174	कार्यपालन अधिकारी, लो.नि.वि. (म./स.) कोरबा रामाग कोरबा	हरदीबाजार-तरदा -सर्वमंगला- इमलीछापर मार्ग नं. 27-19 किमी. में श्री श्री. मार्ग का निर्माण कार्य।
			993/1	0.050		
			990/2	0.035		
			990/4	0.118		
			993/3	0.126		
			993/4	0.016		
			990/5	0.117		
			990/1	0.260		
			990/8	0.042		
			990/6	0.044		
			990/7	0.092		
			982	0.255		
			<b>योग 12</b>	<b>1.329</b>		

2. यह भी सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाजात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नवशा (लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजरख) कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।



4. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
5. प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराए गए सामाजिक समाधात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाधात की तुलना में लाभ अधिक होना पाया गया है।
6. प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कटघोरा, जिला कोरबा के पुनर्वास और पुनर्वर्वस्थापन के प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
आनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

  
(अजीस चंद्रसंत)  
कलेक्टर, कोरबा  
एवं पदेन उप सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग